**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY**
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**(REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.**

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./DC/Part file/ 187 Dated: 03.02.12

***NOTIFICATION***

In pursuance of Services Department's order No. 390 dated 24.08.2011, **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** has joined as **Sub-Divisional Magistrate (Head Quarter) on** 08.12.2011(F/N). Now, therefore,

1. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS,** the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
2. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(ii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
3. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector , Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
4. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iv)- In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
5. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(V)-In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
6. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vi)-In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** as Settlement Officer(Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier .
7. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vii)-In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize **Shri Lalit Mohan, Ad-hoc DANICS** to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable so long as he holds the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR**
**OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**

(Kuldeep Singh Gangar)
**Addl. Secretary (Revenue)**

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./DC/Part file/ 187 Dated: 03.02.12
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette
2. Officer concerned.
3. The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.
4. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
5. Guard file.

Bansal 8/2/2012

(Rajiv Kumar)
**Sub Divisional Magistrate-I (HQ )**

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

सं0. 7/1/99/रा./ स्थ./स.र./डी. सी./पार्ट फाईल/ 187 दिनांक : 03-02-12

## अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 390 दिनॉक 24.08.2011 के सन्दर्भ में **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** ने दिनॉक 08.12.2011 को **उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)** का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

(1) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भ पहले हो, प्रदान करते है ।

(2) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./(पप).राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(3) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (पपप). दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियॉ जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(4) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (पअ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियॉ तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(5) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (अ). दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यो को निर्वाहन करने के लिए **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।

(6) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (अप). पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

(7) सं0. 7/1/99/रा. स्थ./स.र./ (अपप). दिल्ली भूमि जोत ( सीमाबंदी ) अधिनियम 1960 ( 1960 का अधिनियम सं0 24 ) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये **श्री ललित मोहन, तदर्थ दानिक्स** को जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर
कुलदीप सिंह गंगर

(कुलदीप सिंह गंगर)
**अति. सचिव (राजस्व)**

सं0. 7/1/99/रा./ स्थ./स.र./डी. सी./पार्ट फाईल/ 187 दिनांक : 03.02.12

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उप-सचिव (सा0 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. संबधित अधिकारी को ।
3. प्रणाली विषलेशक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली, ।
5. गार्ड फाइल ।

( राजीव कुमार)
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी ( मु0-1)